भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1951
दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

1951. सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वृंदावन में परित्यक्त माताओं में से किसी ने भी 2007 में लागू किए गए ''माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007'' के अंतर्गत भरण-पोषण की मांग नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन देश की असहाय महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए किया गया था;

(ग) सरकार का उक्त मामले पर विस्तृत अध्ययन करने तथा ऐसी महिलाओं को न्याय देना सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रस्ताव है; और

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान डब्ल्यूपीएससी अधिनियम 2007 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित भरण-पोषण तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ अधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य एवं न्यायोचित बनाए गए बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के लिए, रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के अंतरण की वापसी, वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए दांडिक प्रावधान, अक्षम वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है।

(ग) : एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम 2007 के प्रावधान संबंधित राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा गठित अधिकरणों के माध्यम से लागू किए जाते हैं। अब तक अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) : इस संबंध में केंद्रीय स्तर पर डाटा नहीं रखा जाता है।

*****